उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 3 अंक 16 16-31 जनवरी 2020 ₹ 20/-

भारत में अराजकता फैलाने की साजिश

- अमेरिका की मध्य-पूर्व शांति योजना खटाई में
- राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट की घोषणा
- पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी
- अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में वृद्धि

भारत नीति प्रतिष्ठान के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

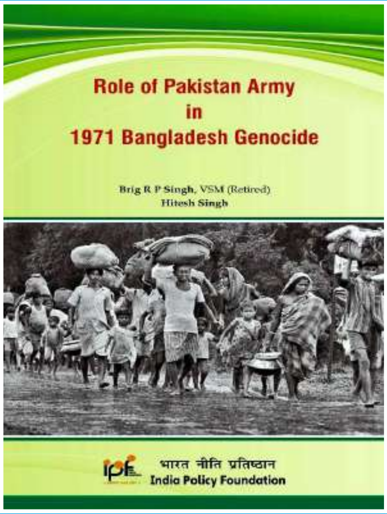

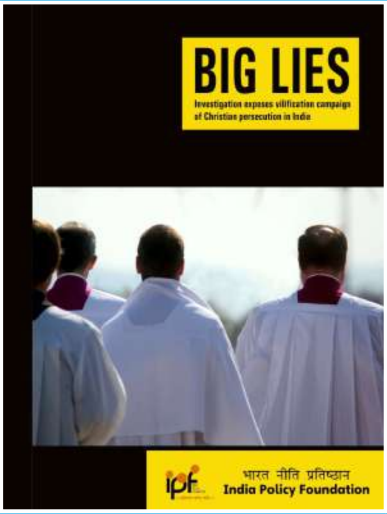

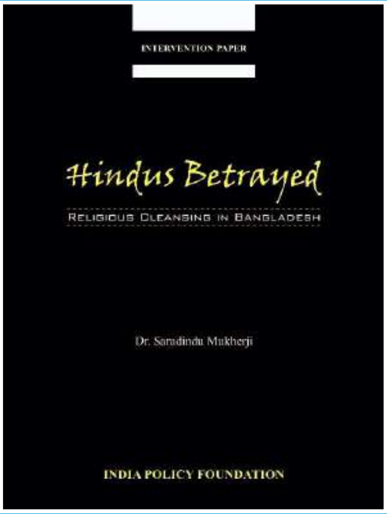

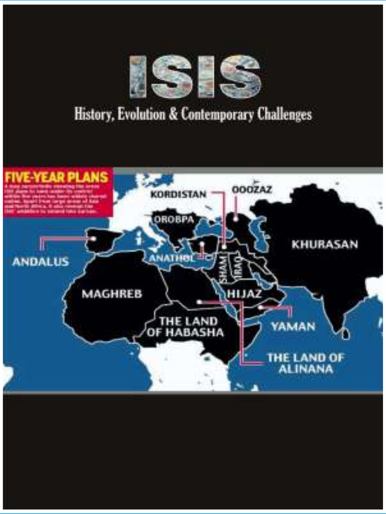

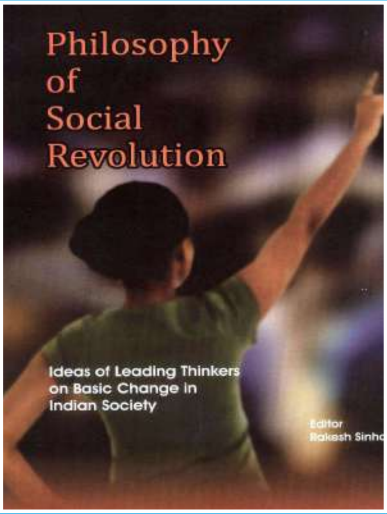

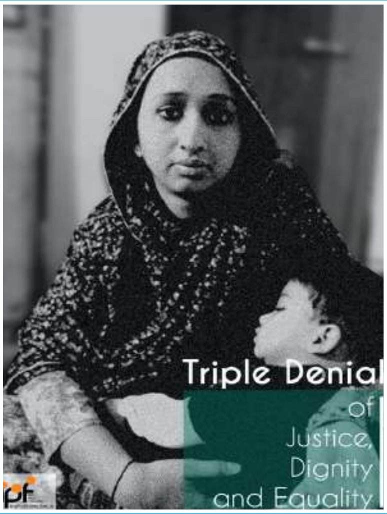

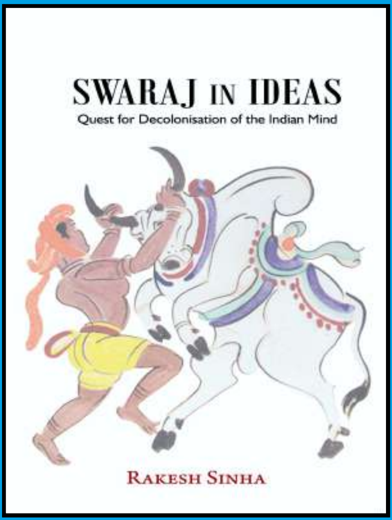

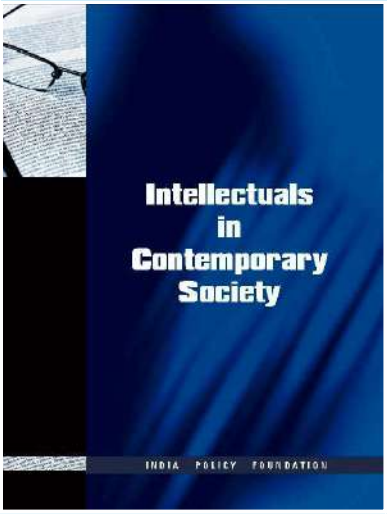

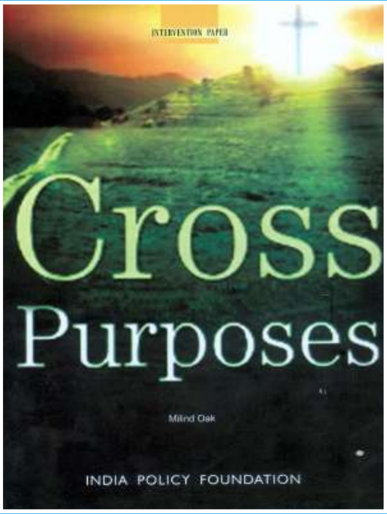

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष - 3 | अंक - 16 | 16-31 जनवरी 2020

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

प्रसार
सुधीर कुमार सिंह
(9810821308, 011-26524018)

आवरण एवं सज्जा
सूरज भारद्वाज

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास,
नई दिल्ली–110016
दूरभाष: 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए, डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 2

राष्ट्रीय

भारत में अराजकता फैलाने की साजिश 3

पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी 5

देशद्रोही भाषण देने के आरोप में दो नेता गिरफ्तार 7

राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट की घोषणा 9

सावरकर के माफीनामे का कोई रिकॉर्ड नहीं 10

विश्व

छह मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध 11

सऊदी अरब के लिए जासूसी करने वाले गिरफ्तार 12

जर्मनी में बुर्के पर पाबंदी लगाने से इनकार 12

स्लोवेनिया में मस्जिद का निर्माण 13

हॉलेंड में बनेगा सबसे बड़ा कब्रिस्तान 14

जनरल सुलेमानी के हत्यारों की मौत 14

पश्चिम एशिया

अमेरिका की मध्य-पूर्व में शांति योजना खटाई में 16

इराक को अस्त्र-शस्त्रों की आपूर्ति पर रोक 20

इजरायली पासपोर्टधारियों पर प्रतिबंध 20

इराक के नए प्रधानमंत्री के खिलाफ बगावत 11

फिलिस्तीन का इजरायल और अमेरिका से राजनयिक संबंध समाप्त 22

सऊदी अरब में तलाक का बढ़ता रूझान 22

अन्य

नागरिकता कानून के विरोध में नाटक करने पर बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज 23

तीन तलाक के आरोप में गिरफ्तारी 23

अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में वृद्धि 24

दुनिया के सबसे अमीर की बेटी मुस्लिम से शादी करेगी 24

काबा की सफाई 24

कतर के नए प्रधानमंत्री 24

सारांश

देश के विख्यात क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा ब्रिटिश सरकार को लिखे कथित माफीनामे के विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। हाल ही में लोकसभा में केन्द्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने यह रहस्योद्घाटन किया है कि अंडमान निकोबार प्रशासन के पास इस कथित माफीनामे का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कांग्रेस और वामपंथी दल कई दशक से इस कथित माफीनामे के मुद्दे को उछालते रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि माफीनामे का यह विवाद एक लेखक ने विनायक दामोदर सावरकर के निधन के बाद अपनी एक पुस्तक में उछाला था, जिसका सारांश अंग्रेजी भाषा के एक साप्ताहिक ने प्रकाशित किया था। जब सावरकर के परिवारजनों ने इस लेखक को मानहानि का नोटिस दिया तो उसने अपनी पुस्तक के अगले संस्करण से इस माफीनामे के उल्लेख को हटा दिया। मगर सावरकर विरोधी राजनीतिक दल फिर भी इस मुद्दे को उछालते रहे।

कुछ उर्दू समाचारपत्र मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान चला रहे हैं। हाल ही में हैदराबाद से प्रकाशित होने वाले एक उर्दू दैनिक सियासत ने एक समाचार प्रकाशित किया है जिसमें उसने दावा किया है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दलित और आदिवासी मुसलमानों के साथ मिलकर आंदोलन चला रहे हैं। अगर इन वर्गों के सांसदों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया तो मोदी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। इस समाचारपत्र ने दावा किया है कि इस समय लोकसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या 303 है। जबकि उसके 77 सांसद ऐसे हैं जो कि दलित या आदिवासी हैं। अगर वे विद्रोह कर देते हैं तो मोदी सरकार अल्पमत में आ जाएगी और उसके सहयोगी दलों के समर्थन के बावजूद केन्द्र की सत्ता भाजपा के हाथ से निकल जाएगी।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह आरोप लगाया है कि हाल ही में देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो हिंसा की ज्वाला भड़की है उसके पीछे एक अतिवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट का हाथ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के बहुचर्चित शाहीन बाग में स्थित है। सरकार का दावा है कि इस संगठन और उससे जुड़े हुए न्यासों को देश में हिंसा भड़काने के लिए विदेशी सूत्रों से करोड़ों रुपये की सहायता प्राप्त हुई है। इस धनराशि को उत्तर प्रदेश में आंदोलन की ज्वाला को भड़काने के लिए आंदोलनकारियों में बांटा गया था। पुलिस का दावा है कि इस बात की पुष्टि प्रवर्तन निदेशालय की जांच से भी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक पॉपुलर फ्रंट के 150 से अधिक कार्यकर्ताओं को देशद्रोह और अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया है। पुलिस का यह भी दावा है कि पॉपुलर फ्रंट के तार कुछ विपक्षी दलों के नेताओं से भी जुड़े हुए हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने फिलिस्तीन के विभाजन और यरूशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के बारे में जो शांति फार्मूला घोषित किया था उसे मुस्लिम देशों के सहयोगी संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) और अरब लीग ने ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि यह योजना अमेरिकी राष्ट्रपति ने आने वाले चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए बनाई है और इसका मुख्य लक्ष्य जॉर्डन और मिस्र के उन क्षेत्रों पर इजरायल के कब्जे को मान्यता देना है, जिनपर इजरायल ने जबरन कब्जा कर रखा है।

भारत में अराजकता फैलाने की साजिश

सियासत (31 जनवरी) ने चार कॉलमी समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, 'नरेन्द्र मोदी सरकार **गिर सकती है'। समाचारपत्र ने लिखा है कि "नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), एनआरसी और एनपीआर का हिन्दू**, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब विरोध कर रहे हैं। विशेष तौर पर इस कानून को मुसलमानों और दलितों के लिए तबाह करने वाला बताया जा रहा है और यह सच्चाई भी है। आज देश में दलितों की हालत का विश्लेषण किया जाए तो यह पता चलता है कि जात-पात के आधार पर उन्हें इंसान नहीं समझा जाता। उच्च जाति के हिन्दुओं ने दलितों को अछूत करार दे रखा है। देश में अनेक ऐसी घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं जहां दलित युवकों की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने उच्च जाति के हिन्दुओं के सामने कुर्सी पर बैठकर खाना खाने की हिम्मत की थी या फिर एक दलित नौजवान को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया जाता है क्योंकि उसने घोड़े पर सवारी करने का शौक पूरा किया था। हद तो यह है कि उच्च जाति के हिन्दुओं के कुत्तों को भी छूने पर दलितों के हाथ काटने की अनेक घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं। उप प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के दलित मुख्यमंत्री भी जब मंदिर में दर्शन करने के लिए गए या वे किसी उच्च जाति के नेता के घर में गए तो इन मंदिरों और घरों को बाद में दूध से धोकर पवित्र किया गया। क्योंकि उनके जाने से वह स्थान अपवित्र हो गए थे।"

"भाजपा अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के कल्याण की बातें तो बहुत करती है लेकिन किसी एक दलित को उच्च पद पर नियुक्त करके सारे दलितों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ संघ परिवार में यह आवाजें भी उठने लगी हैं कि दलितों को दिया जा रहा आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। संभव है कि भविष्य में संघ परिवार अपनी इस योजना को क्रियान्वित करे। हाल ही में भीम आर्मी के प्रमुख चन्द्रशेखर रावण ने जब हैदराबाद का दौरा किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वापस दिल्ली भेज दिया गया। क्योंकि वे यह कहते हैं कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि दलितों के भी खिलाफ है। कश्मीर की समस्या पर मोदी सरकार की नीति के खिलाफ आवाज उठाने वाले और आईएएस से त्यागपत्र देने वाले के. गोपीनाथन के अनुसार सीएए, एनआरसी और एनपीआर सिर्फ मुसलमानों और दलितों के खिलाफ नहीं बल्कि तमाम गरीब हिन्दुस्तानियों के खिलाफ भी है। मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त डॉ. संदीप पांडेय तो देश के वर्तमान हालात को देखते हुए मोदी सारकार को बर्खास्त करने की वकालत करते हैं। अधिकांश बुद्धिजीवी, राजनीतिक नेता और सामाजिक विश्लेषक भी देश की वर्तमान हालत के लिए मोदी सरकार को जिम्मेवार करार देते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या संसद में 303 सांसदों के समर्थन पर टिकी हुई भाजपा की सरकार सत्ता से वंचित हो सकती है? क्या मोदी सरकार को गिराया जा सकता है या उसका पतन हो सकता है? यह ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विचार करना जरूरी है।"

समाचारपत्र का कहना है कि "मोदी सरकार में केवल अल्पसंख्यकों और खास तौर पर मुसलमानों तथा ईसाईयों को ही जुल्म व जबर का निशाना नहीं बनाया जा रहा बल्कि दलित भाईयों पर भी अत्याचार हो रहे हैं। अल्पसंख्यकों की हालत बेहद दयनीय है। अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचारों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। उनका राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक शोषण हो रहा है। ऐसे में अगर भाजपा के 303 सांसदों में से अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के 77 सांसद विद्रोह कर देते हैं तो लोकसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या 303 से घटकर 226 हो जाएगी। जबकि सत्तारूढ़ दल के लिए 272 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। ऐसे में भाजपा को सत्ता में बने रहने के लिए 46 और सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। इसके सहयोगी पार्टियों के समर्थन से भी भाजपा सदन में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकती।"

"भाजपा सरकार के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रमुख वामन मेश्राम, भीम आर्मी के प्रमुख चन्द्रशेखर रावण, भाजपा के पूर्व सांसद और वर्तमान कांग्रेस नेता उदित राज, संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर जैसे नेताओं को मैदान में आना होगा और देश को बचाना होगा। अगर हम वर्तमान लोकसभा के 543 सांसदों का विश्लेषण करें तो इनमें से 131 सदस्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हैं जिनमें से 77 बीजेपी के हैं।"

मुंबई उर्दू न्यूज (31 जनवरी) ने वसील खान **नामक लेखक का एक सम्पादकीय प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है, 'वह सुबह कभी तो आएगी'। सम्पादकीय** में कहा गया है कि "न जाने किस मनहूस की नजर लग गई **है कि एक लम्बे समय से पूरा देश जबर्दस्त अफरा-तफरी का शिकार है और अभी तक सुधार के कोई आसार नजर नहीं आ** रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और एनपीआर की सरकारी कोशिशों के खिलाफ पूरे देश का एक बड़ा वर्ग विरोध प्रकट कर रहा है। लेकिन बेहद हैरानी की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मजाक हो रहा है उसका कोई दूसरा उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेगा। विरोध बढ़ता जा रहा है और शासक वर्ग अपनी जिद् और गुरूर में डूबा हुआ है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके इस रवैये से जनता का गुस्सा कितना खतरनाक रूप ले सकता है। प्रतिक्रिया के रूप में अगर लोग सड़कों पर इसी तरह से आते रहे तो वह दिन भी आ सकता है जब उन पर नियंत्रण करना किसी के लिए संभव नहीं होगा।"

"ऐसी नाजुक परिस्थितियों का सामना इस देश ने पहले कभी नहीं किया था। उस वक्त भी नहीं जब विभाजन के नाम पर देश और विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में खून की नदियां बह रही थीं, लाशों के अंबार लगा दिए गए थे, घर जलाए और लूटे जा रहे थे और उस वक्त भी नहीं जब गुजरात में कत्लेआम के द्वारा हैवानियत का नंगा खेल खेला गया। लेकिन आज के हालात बिल्कुल भिन्न हैं। शरारती तत्व न सिर्फ आजाद हैं बल्कि उन्हें सरकार का समर्थन भी प्राप्त है। बिगड़ती कानून व्यवस्था ने सारे देश की व्यवस्था को ही तबाह करके रख दिया है। अब आप महंगाई को ही ले लीजिए जो इसी अफरा-तफरी की कोख से निकली है और काबू से बाहर है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही बेतहाशा वृद्धि जानलेवा बनती जा रही है। राज्य सरकारें हो या केन्द्र सरकार सबका हाल एक जैसा है। सत्तारूढ़ लोगों को इतनी फुर्सत कहां है कि वे आंख उठाकर इधर देखें। वे तो सुबह-शाम राजनीतिक जोड़-तोड़ और उठा-पटक में ही **व्यस्त हैं। सामाजिक और आर्थिक बदहाली लोगों को हैवान बनाने पर तुली हुई है। अगर इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया** तो वह दिन दूर नहीं जब यह देश गृह युद्ध का शिकार हो जाएगा। इसकी कुछ झलकियां आने भी लगी हैं। उरी सेक्टर

में तैनात एक जवान को जब उसके मेजर ने मोबाइल पर बातचीत करने से रोका और उसका फोन छीन लिया तब वह जवान आपे से बाहर हो गया और उसने मेजर शेखर थापा को एके 47 से भून दिया।"

"दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में एक कार के सामने से दो लोग नहीं हटे तो कार से चार लोग उतरे और उनकी पिटाई शुरू कर दी और जान ले ली। पवन और प्रदीप मोटर साइकिल पर सवार थे। एक कार वाले ने उनको रास्ता देने के लिए कहा लेकिन सामने गढ़ा होने के कारण रास्ता देने में देर हो गई। इतनी सी बात पर कार वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उनमें से एक ने पवन को गोली मार दिया। उत्तरी दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन के सामने दो लड़के नशे में धूत होकर पेशाब कर रहे थे। जब एक रिक्शा ड्राइवर ने उन्हें मना किया तो वे कई और लोगों को लेकर आए और रिक्शा ड्राइवर की पिटाई शुरू कर दी। उसे इतना मारा कि उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। ऐसी घटनाएं रोजमर्रा की बात बनती जा रही हैं और रोजाना समाचारपत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से हमारे सामने पहुंच रहे हैं। जिन्हें पढ़ते हुए हमारी रूह कांप उठती है। लेकिन सत्तारूढ़ लोग वातानुकूलित कमरों में बैठकर विरोधी दलों की कमर तोड़ने के मंसूबे बनाने में जुटे हुए हैं।"

"जनता के बढ़ते हुए गुस्से और बेचैनी पर किसी की नजर नहीं जाती। साम्प्रदायिकता अपनी हदें पार करती जा रही है। महंगाई आसमान से बात कर रही है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और घोटाले का बाजार पूरे चरम पर है। बड़े-बड़े घोटालों से जब पर्दे हटते हैं तो इन भ्रष्टाचारी पूंजीपतियों और दलालों के साथ हमारे मंत्रियों और नौकरशाहों के काले चेहरे नजर आते हैं। रोम जल रहा है और नीरो बांसुरी बजा रहा है। आज हिन्दुस्तान तेजी से तबाही व बर्बादी की ओर बढ़ता जा रहा है। अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों के साथ हर जुर्म को जायज समझ लिया गया है और सत्तारूढ़ लोग वातानुकूलित कमरों में बैठे बांसुरी बजाने में लगे हुए हैं।"

इसी समाचारपत्र ने एक अन्य समाचार प्रकाशित किया है जिसमें दावा किया गया है कि "शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया है कि देश की सामाजिक और धार्मिक सद्भावना खत्म हो चुकी है। हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इराक और अफगानिस्तान जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं।" ■

पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी

इंकलाब (4 फरवरी) के अनुसार "उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रमुख ने यह दावा किया है कि गत चार दिनों में उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मारे गए छापों में पॉपुलर फ्रंट के 108 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक ये गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में हुई हैं। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी मेरठ और मुजफरनगर में हुई हैं। पुलिस प्रमुख ने एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ होने वाले विरोध में हिंसा भड़काने की साजिश पॉपुलर फ्रंट की ओर से की गई थी। पॉपुलर फ्रंट ने सोशल मीडिया द्वारा लोगों को विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने का अनुरोध किया। वाट्सऐप ग्रुपों के द्वारा भीड़ में शामिल होकर पुलिस पर पथराव करने का निर्देश दिया गया ताकि लोगों और पुलिस में झड़पें हों और अधिक-से-अधिक क्षति हो। इसकी शुरुआत आजमगढ़ से की गई थी। लखनऊ में इंदिरा नगर और अन्य स्थानों पर छापे मारकर फ्रंट के तीन पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे भारी संख्या में पोस्टर बरामद किए गए हैं।"

पुलिस प्रमुख ने कहा कि "फ्रंट ने लखनऊ, संभल, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और वाराणसी सहित कई जिलों में हिंसा फैलाई थी। अब तक 108 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें लखनऊ से 14, बहराइच से 16, सीतापुर से 3, मेरठ से 21, गाजियाबाद से 9, मुजफ्फरनगर से 6, शामली से 7, बिजनौर से 4, वाराणसी से 20, कानपुर से 5 और हापुड़ तथा जौनपुर से 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। उन्होंने कहा कि फ्रंट के खिलाफ पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा। पुलिस यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर

रही है कि फ्रंट को आर्थिक सहायता कहां से प्राप्त हुई है? इससे पहले भी उत्तर प्रदेश पुलिस फ्रंट के दो दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच के दौरान इस बात का पता चला है कि फ्रंट के नाम पर देश भर के कई बैंकों में खाते खुले हुए हैं जिनमें 120 करोड़ जमा होने की जानकारी है। गिरफ्तार किए गए लोगों से इस संदर्भ में और जानकारी प्राप्त की जाएगी।"

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (4 फरवरी) के अनुसार "चांदपुर पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट के चार कार्यकर्ताओं को जनता को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया है कि जिला बिजनौर के विभिन्न नगरों में पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने जनता को नागरिकता कानून के खिलाफ भड़काकर साम्प्रदायिक दंगा कराने की कोशिश की। उनका यह प्रयास था कि बिजनौर जिले में जगह-जगह शाहीन बाग की तरह महिलाओं का धरना हो। पकड़े गए लोगों में नसीरूद्दीन, याकूब, आरिफ, दिलशाद और इदरीश शामिल हैं। इनके कब्जे से काफी साहित्य बरामद हुआ है।"

इंकलाब (3 फरवरी) के अनुसार "पुलिस ने ढ़ाई क्विंटल विस्फोटक पदार्थ बरामद किया है। यह विस्फोटक पदार्थ बस से फर्रूखाबाद से बरेली ले जाया जा रहा था। बताया जाता है कि यह विस्फोटक पदार्थ एक लगेज बॉक्स में चार बोरियों में भरकर रखा गया था। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और बस कंडक्टर से पूछताछ की जा रही है। जबकि चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस को इस बात की गुप्त सूचना मिली थी कि पीलीभीत डिपो की बस में विस्फोटक पदार्थ लाया जा रहा है। पुलिस ने मैनपुरी के रहने वाले कंडक्टर को पकड़ा है। बताया जाता है कि इन बोरियों में अलग तरह का बारूद था जिससे बम बनाए जा सकते हैं।"

इंकलाब (1 फरवरी) के अनुसार "कानपुर पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए पांच व्यक्तियों को जेल भेज दिया है। इनके खिलाफ नगर में होने वाले नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आरोप है। पुलिस के अनुसार ये पांचों व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। जबकि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के परिवारजनों का दावा है कि उन्हें एक दिन पहले ही पुलिस ने जानकारी प्राप्त करने के नाम पर थाने बुलाया था और वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिन पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें एक बुजुर्ग सेवानिवृत्त अध्यापक भी शामिल है। जबकि पुलिस ने यह दावा किया है कि इन लोगों

को मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया गया है। जिनलोगों को गिरफ्तार करने का पुलिस द्वारा दावा किया गया है उनमें मोहम्मद उमर, सैयद अब्दुल हाई हाशमी, फैजान मुमताज, मोहम्मद वासिफ और सरवर आलम शामिल हैं। मोहम्मद उमर के पिता मोईउद्दीन ने बताया कि दो दिन पूर्व दो पुलिस वाले सादे कपड़ों में उनके घर आए थे और उन्होंने पूछा था कि क्या मोहम्मद उमर घर पर है? इस पर मैंने लड़के को घर से बाहर बुलाया। पुलिस ने उससे पूछा कि उसके साथ लखनऊ के मदरसे में जो व्यक्ति पढ़ता था वह आजकल कहां है? जब उसने कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता तो पुलिस वाले उसे जबरन अपने साथ उठाकर ले गए और बाद में उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसी तरह से सैयद अब्दुल हाई हाशमी सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया गया जबकि फैजान अपंग नौजवान है और उसे भी पुलिस ने उसके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया था।"

इंकलाब (29 जनवरी) के अनुसार "प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट के कुछ कार्यकर्ताओं को मनी लॉँड्रिंग केस में पूछताछ के लिए समन भेजा है। एक अधिकारी के अनुसार सरकार को इस बात की जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश में नागरिकता कानून के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनके तार पॉपुलर फ्रंट से जुड़े हुए हैं। और इस संस्थान से संबंधित 73 खातों में विदेशों से काफी धनराशि हस्तांतरित की गई है। जिनलोगों को विदेशों से धनराशि प्राप्त हुई है उनमें देश के कई विख्यात वकील भी शामिल हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने इस बात का खंडन किया है कि उनका सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों से कोई संबंध है। उन्होंने कहा कि हादिया का केस उन्होंने लड़ा था जिसके बदले में उन्होंने दो वर्ष पूर्व अपनी फीस ली थी। मगर इस मामले से वर्तमान के आंदोलन का कोई संबंध नहीं है। नागरिकता कानून से संबंधित केस लड़ने के लिए उन्होंने किसी से कोई फीस नहीं ली है।"

देशद्रोही भाषण देने के आरोप में दो नेता गिरफ्तार

समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार देशद्रोही भाषण देने के आरोप में शरजील इमाम और डॉ. कफील खान को गिरफ्तार किया गया है।

सहाफत (29 जनवरी) के अनुसार "दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शरजील इमाम को उसके पैतृक गांव जहानाबाद में गिरफ्तार किया है। इमाम इस समय पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इमाम का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वह दिल्ली और पूरे देश में मुसलमानों को चक्का जाम करने और चिकन नेक पर कब्जा करके असम को भारत की मुख्य भूमि से काटने पर जोर दे रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने भारतीय संविधान के प्रति भी अनेक आपत्तिजनक बातें कही है और देश में आग लगाने के लिए मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। इमाम पर शाहीन बाग और अलीगढ़ में आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस के सहयोग से उसके गांव में रात को छापा मारा था लेकिन वह वहां नहीं मिला। इस पर पुलिस ने उसके भाई और उसके एक दोस्त को हिरासत में ले लिया था। जब इन दोनों पर सख्ती की गई तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि इमाम कहां छिपा हुआ है। इस पर दिल्ली पुलिस ने उसके छिपने वाले स्थान पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे जहानाबाद के सिविल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे दिल्ली पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर दे दिया।"

"इमाम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 25 जनवरी की शाम को वह फरार हो गया था। उसके खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश में देशद्रोह के आरोप में मुकदमें दर्ज हुए थे। दिल्ली पुलिस की पांच टीमें इमाम की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, मुंबई, पटना आदि अनेक स्थानों पर छापेमारी कर रही थी।

अनुसार 12 दिसम्बर को 600 छात्रों को कफील ने संबोधित किया था और उसने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश की थी। एफआईआर के अनुसार अपने भाषण में डॉ. कफिल ने कहा था 'मोटा भाई हमें हिन्दू-मुसलमान तो बना रहा है। लेकिन वह हमें इंसान नहीं बना रहा है। सीएए के द्वारा हम अपने घरों में इन चोरों को रोजगार दे रहे हैं जो कि हमारे पड़ोस में चोरी कर रहे हैं। उसके अपने भाषण में कथित तौर पर यह भी कहा था कि आरएसएस के स्कूलों में इस बात की शिक्षा दी जाती है कि हर दाढ़ी रखनेवाला व्यक्ति आतंकवादी है।"

"12 दिसम्बर को जब डॉ. कफील ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सर सैयद गेट पर भाषण दिया था तो उस वक्त वहां पर योगेन्द्र यादव भी मौजूद थे। योगेन्द्र यादव ने अपने ट्विट में कहा है कि डॉ. कफील ने अपने भाषण में एक भी ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जो कि सामाजिक समरसता को क्षति पहुंचाता हो। डॉ. कफील के भाई आदिल खान ने कहा है कि उसके भाई को मुंबई में गिरफ्तार किया गया है। यह वही कफील खान है जिसको गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के सिलसिले में निलंबित करके उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था। मगर न्यायालय ने उसे बरी कर दिया। लेकिन वह अभी तक निलंबित है।"

दैनिक इंकलाब (2 फरवरी) के अनुसार "डॉ. कफील को अलीगढ़ जेल से मथुरा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस उसे अलीगढ़ लेकर पहुंची थी और मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशी के बाद जिला जेल में बंद कर दिया गया था। मगर जैसे ही उसके अलीगढ़ में लाए जाने का समाचार फैला, विश्वविद्यालय और नगर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया। इसके बाद उसे अलीगढ़ से मथुरा जेल स्थानांतरित करने का फैसला किया गया।"

पुलिस के अनुसार शरजील इमाम ने पटना के सेंट जेवियर हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद दिल्ली के वसंत कुंज स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद उसने आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस में स्नातक की। वह डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में भी काम कर चुका है। इमाम के पिता अकबर इमाम बिहार में जनता दल (यू) के नेता हैं। उन्होंने 2005 में जहानाबाद से एमएलए का चुनाव लड़ा था मगर वे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार से हार गए थे। इमाम का एक छोटा भाई भी है जिसका संबंध जहानाबाद के पूर्व सांसद अरूण कुमार से भी बताया जाता है। पुलिस का दावा है कि इमाम से पूछताछ के बाद देश में नागरिकता विरोधी कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की सम्भावना है।"

मुंबई उर्दू न्यूज (31 जनवरी) के अनुसार "पुलिस ने गोरखपुर के डॉ. कफील खान को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। उस पर जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली में आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के इंस्पेक्टर जनरल अमिताभ यश के अनुसार डॉ. कफील को एसटीएफ ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के दो अधिकारियों को इस डॉक्टर को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई भेजा गया था। उसके खिलाफ 13 दिसम्बर 2019 को अलीगढ़ के सिविल लाइंस पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 153ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। एफआईआर के अनुसार डॉ. कफील खान पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। इस एफआईआर के

राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट की घोषणा

उर्दू के सभी समाचारपत्रों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के समाचार को मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

इंकलाब (6 फरवरी) ने इसे मुख्य समाचार बनाया है और उसका शीर्षक दिया है– 'दिल्ली विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार का महत्वपूर्ण कदम। राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान, मस्जिद के लिए पांच एकड़ की जमीन, पन्द्रह ट्रस्टियों में से एक ट्रस्टी दलित समाज से होगा।' समाचार पत्र के अनुसार "इस ट्रस्ट की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में की। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर केन्द्र सरकार को तीन महीने के भीतर राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट की घोषणा करनी थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए जिस समय को चुना है उसके कारण इस पर विवाद उत्पन्न हो गया है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा सिर्फ वोटों की खेती करती है। जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ट्रस्ट की घोषणा तो आठ फरवरी के बाद भी की जा सकती थी। मगर ऐसा नहीं किया गया। बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए लोकसभा का इस्तेमाल किया जा रहा है।"

"प्रधानमंत्री ने कहा कि मंदिर बनाने के लिए भूमि ट्रस्ट को दी जाएगी। यह ट्रस्ट स्वशासी होगा। बाद में सरकार ने यह तय किया कि इस ट्रस्ट के चेयरमैन वकील के. परासरन को बनाया जाएगा और इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली स्थित उनका आवास होगा। उन्होंने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार से मस्जिद के वैकल्पिक स्थान के तौर पर पांच एकड़ भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने के लिए कहा है। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने कहा है कि इस न्यास की घोषणा का दिल्ली के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मस्जिद के लिए वैकल्पिक स्थान दिए जाने की आलोचना करते हुए कहा है कि बाबरी मस्जिद कानून और इंसाफ की नजर में एक मस्जिद थी। शरई दृष्टि से वह आज भी मस्जिद है और कयामत तक मस्जिद रहेगी। इसलिए किसी व्यक्ति या संगठन को इस बात का अधिकार नहीं है कि वह उसके विकल्प के रूप में कोई अन्य भूमि स्वीकार करे। बाबरी मस्जिद मुकदमें के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा है कि अयोध्या में ही मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि दी जाए। उन्होंने कहा कि कोटिया मोहल्ले में काफी खाली जमीन है उसे मस्जिद के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए।"

"ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर वैकल्पिक भूमि देने की आलोचना की है और कहा है कि यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हम इस वैकल्पि भूमि को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि यह इस्लामिक शरा के खिलाफ है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि दशकों पुराना विवाद सुलझ गया है। अब इस पर किसी को राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि अभी तक उन्हें इस संदर्भ में कोई सरकारी सूचना नहीं मिली। जब कोई सूचना मिलेगी तो बोर्ड में विचार किया जाएगा।"

इंकलाब (6 फरवरी) के अनुसार "दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्रस्ट का गठन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है।"

दैनिक सहाफत (7 फरवरी) के अनुसार "सांसद बदरूद्दीन अजमल ने कहा है कि अयोध्या के बाहर मस्जिद के लिए जमीन देना इस्लाम और मुसलमानों का अपमान है। सरकार हम पर मेहरबानी न करे। अल्लाह के बंदे खुद मस्जिद बना लेंगे।"

न्यास के गठन पर टिप्पणी करते हुए **इंकलाब** ने 7 फरवरी के सम्पादकीय में कहा है कि "सरकार ने यह फैसला दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए किया है। सम्पादकीय में यह भी कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह निर्देश दिया था कि

विवादित भूमि पर मंदिर का निर्माण हो और मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक स्थान दी जाए। समाचारपत्र का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वैकल्पिक स्थान देने की पेशकश की है वह अयोध्या से 18 किलोमीटर दूर है। मोदी सरकार के इस फैसले पर यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि दिल्ली के चुनाव से तीन दिन पूर्व राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा करने की जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? सम्पादकीय में यह भी कहा गया है कि मुसलमान नेता वैकल्पिक भूमि लेने के लिए तैयार नहीं हैं। क्योंकि यह इस्लाम के मूल्यों के खिलाफ है।"

सहाफत (7 फरवरी) ने कहा है कि "सरकार ने जानबूझकर अयोध्या के संतों को इस ट्रस्ट से दूर रखा है। क्योंकि शायद उन्हें इस बात का भय है कि अगर किसी एक संत को इस ट्रस्ट में शामिल किया गया तो दूसरे उसका विरोध करना शुरू कर देंगे। जहां तक मस्जिद के लिए वैकल्पिक स्थान दिए जाने के विवाद का संबंध है, सरकार को चाहिए कि वह इस विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाने का प्रयास करे।"

सावरकर के माफीनामे का कोई रिकॉर्ड नहीं

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (6 फरवरी) ने कहा है कि संसद में दी गई जानकारी के अनुसार "अंडमान निकोबार प्रशासन के पास विनायक दामोदर सावरकर द्वारा दया की अर्जी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। केन्द्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि अंडमान सेल्यूलर जेल के 'लाइट और साउंड कार्यक्रम' में सावरकर द्वारा अंग्रेजी सरकार को लिखी गई माफी की अर्जी का कोई उल्लेख नहीं है। समाचारपत्र ने लिखा है कि 1910-11 तक सावरकर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे और वे पकड़े गए थे। उम्रकैद की सजा देकर उन्हें 1911 में अंडमान के सेल्यूलर जेल भेज दिया गया था। लेकिन अंडमान भेजे जाने के कुछ महीने बाद उन्होंने अंग्रेजी सरकार को एक याचिका भेजी थी, जिसमें उन्होंने फिरंगी सरकार से यह वायदा किया था कि अगर मुझे रिहा कर दिया जाएगा तो मैं स्वतंत्रता संग्राम से संबंध-विच्छेद कर लूंगा और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहूंगा। गत कई वर्षो से सावरकर के कथित माफीनामे पर विवाद चल रहा है। कांग्रेस और वामपंथी दल बार-बार इस मुद्दे को उछालते रहे हैं। अब अधिकृत तौर पर संसद में सरकार ने यह जानकारी दी है कि इस कथित माफीनामे का कोई रिकॉर्ड अंडमान प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है।"

टिप्पणी: कुछ दशक पूर्व एक लेखक ने अपनी पुस्तक में यह रहस्योद्घाटन किया था कि सावरकर अंग्रेजी सरकार से माफी मांगकर रिहा हुए थे। बाद में जब सावरकर के परिवारजनों ने इस लेखक और इस समाचार को प्रकाशित करने वाले साप्ताहिक पत्रिका को मानहानि का नोटिस दिया और उनसे अनुरोध किया कि वे इस माफीनामे को पेश करें, तो लेखक ने इस माफीनामे को पेश करने की बजाय अपने विवादित पुस्तक से इस माफीनामे के उल्लेख को हटा दिया था। इसी तरह से इस साप्ताहिक ने भी माफीनामे का उल्लेख किए जाने के बारे में सावरकर के परिवारजनों से माफी मांगी थी और उसे अपने साप्ताहिक में प्रमुखता से प्रकाशित भी किया था। सावरकर कांग्रेसियों की आंखों में प्रारम्भ से ही किरकिरी रहे हैं। 2004 में कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री मणिशंकर अय्यर ने अंडमान की सेल्यूलर जेल में सावरकर की स्मृति में लगे हुए एक स्मृति पटल को हटा दिया था और पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम सावरकर के नाम पर रखने का भी विरोध किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में जब संसद के केन्द्रीय कक्ष में सावरकर के चित्र का अनावरण किया गया तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस समारोह का बहिष्कार किया था।

छह मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध

इंकलाब (2 फरवरी) के अनुसार "अमेरिका ने छह मुस्लिम देशों के नागरिकों पर देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह प्रतिबंध सुरक्षा कारणों से लगाया गया है। जिन देशों के नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें किर्गिस्तान, म्यांमार, इरीट्रिया, नाइजीरिया, सूडान और तंजानिया शामिल हैं। यह प्रतिबंध 21 फरवरी से लागू होगा। इससे पूर्व भी अमेरिका ने मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था जिसके कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को आलोचना का सामना करना पड़ा था।"

"व्हाइट हाउस ने अपने घोषणा में कहा है कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। अगर कोई विदेशी नागरिक अमेरिका की यात्रा करना चाहता है तो उसे निश्चित रूप से अमेरिकी कानून और गुप्तचर एजेंसियों के तय किए हुए दिशा-निर्देशों पर अमल करना होगा। सूडान और किर्गिस्तान मुस्लिम बहुल देश हैं जबकि नाइजीरिया ऐसा देश है जिसमें हालांकि मुसलमान और ईसाई दोनों रहते हैं मगर जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का पाचवां बड़ा मुस्लिम देश है। अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन के निदेशक उमर ने कहा है कि अमेरिका ने पहले जो बीजा देने पर प्रतिबंध लगाया था उसका विस्तार नहीं करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प मुस्लिम विरोधी नीति पर चल रहे हैं और इसकी कीमत अमेरिकी विश्वविद्यालयों और व्यापारी संस्थानों को अदा करनी पड़ी है। अमेरिका ने गर्भवती महिलाओं को वीजा देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।"

सऊदी अरब के लिए जासूसी करने वाले गिरफ्तार

इंकलाब (5 फरवरी) के अनुसार "डेनमार्क में तीन व्यक्तियों को सऊदी अरब के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तीनों व्यक्ति काफी दिनों से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में थे। कहा जाता है कि इनका संबंध उस आतंकवादी गिरोह से था जिसने सितंबर 2018 में ईरान में एक फौजी परेड पर हमला किया था। इस हमले में 24 लोग मारे गए थे। डेनमार्क पुलिस का कहना है कि इनका संबंध अरब के एक गुप्तचर संगठन एएसएमएलए से है। यह संगठन ईरान में बसे हुए अरब लोगों के लिए अलग राष्ट्र बनाने की मांग करता आ रहा है।"

"डेनमार्क की गुप्तचर संगठन पीईटी ने आरोप लगाया है कि ये तीनों ईरानी नागरिक 2012 से 2018 तक जासूसी करते रहे और उससे प्राप्त सूचनाओं को सऊदी अरब को उपलब्ध कराते रहे। गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को 2018 में ईरान की एक गुप्तचर एजेंसी ने मौत के घाट उतारने का प्रयास किया था। डेनमार्क की गुप्तचर एजेंसी के निदेशक ने कहा है कि यह बहुत गम्भीर मामला है। हम विदेशियों को अपने देश के अंदर झगड़ा फैलाने की अनुमति नहीं दे सकते। इससे पूर्व भी कुछ सऊदी जासूसों को डेनमार्क में हिरासत में लिया गया था।"

जर्मनी में बुर्के पर पाबंदी लगाने से इनकार

इंकलाब (5 फरवरी) के अनुसार "जर्मनी के नगर हेम्बर्ग में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एक मुस्लिम छात्रा की माता को यह निर्देश दिया था कि उसकी बेटी नकाब पहनकर और बुर्का ओढ़कर स्कूल में न आए। इस निर्देश को इस महिला ने जर्मनी के न्यायालय में चुनौती दी थी। अब हैम्बर्ग के न्यायालय ने इस प्रतिबंध को रद्द कर दिया है और कहा है कि जर्मनी के कानून के अनुसार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस तरह का प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय के इस फैसले के बाद जर्मनी में विवाद खड़ा हो गया है और इस बात की मांग की जा रही है कि इस समय जो कानून है उसमें संशोधन किया जाए। एक सांसद ने कहा है कि सरकार को इस कानून में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए। आपकी संस्कृति या धर्म कुछ भी हो मगर स्कूल में सभी बच्चे बराबर हैं। जब कोई बच्चा बुर्का पहनकर आता है तो समानता का यह अधिकार समाप्त हो जाता है।"

"न्यायालय के इस फैसले के बाद जर्मनी में राष्ट्रीय स्तर पर विवाद छिड़ गया है। सत्ताधारी पार्टी सीडीयू और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी (एफडीपी) प्रारम्भ से इस बात की मांग करते आ रहे हैं कि जर्मनी में नकाब ओढ़ने और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जबकि जर्मनी की ग्रीन पार्टी इस तरह का प्रतिबंध लगाने के सख्त खिलाफ है। उनका कहना है कि जर्मन कानून प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है और सरकार को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वह इसमें हस्तक्षेप करे।"

स्लोवेनिया में मस्जिद का निर्माण

इंकलाब (5 फरवरी) के अनुसार "स्लोवेनिया के मुसलमान गत 50 वर्षों से इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे कि उनके देश में मस्जिद का निर्माण किया जाए। स्लोवेनिया में मस्जिद निर्माण के लिए वहां के मुसलमानों ने 1960 में एक याचिका तब दी थी जब स्लोवेनिया एक अलग राष्ट्र नहीं था बल्कि यूगोस्लाविया का हिस्सा था। यूगोस्लाविया की कम्युनिस्ट सरकार ने इस मस्जिद के निर्माण की अनुमति नहीं दी। नब्बे के दशक में हालांकि यूगोस्लाविया में शासन बदल गया। मगर इसके बावजूद ईसाईयों ने इस मस्जिद के निर्माण का विरोध जारी रखा।"

"स्लोवेनिया में कैथोलिक ईसाईयों की जनसंख्या वहां की कुल जनसंख्या का 73 प्रतिशत है। जबकि वहां पर चार प्रतिशत मुसलमान हैं। मस्जिद के निर्माण का प्रारम्भ 2013 में हुआ था और इसे कतर सरकार के आर्थिक सहयोग से बनाया गया है। इस मस्जिद का उदघाटन स्लोवानिया के सर्वोच्च मुस्लिम नेता मुफ्ती नेदजाद ग्राब्स ने किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद में दुआ करने से उनके जीवन में नई शुरुआत होगी। उन्होंने कतर सरकार का भी शुक्रिया अदा किया है जिसके कारण अब वहां के मुसलमान इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकेंगे।"

हॉलैंड में बनेगा सबसे बड़ा कब्रिस्तान

सहाफत (3 फरवरी) के अनुसार "हॉलैंड के रहने वाले मुसलमान वहां पर एक ऐसा कब्रिस्तान बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो यूरोप का सबसे बड़ा कब्रिस्तान होगा। इस कब्रिस्तान में 1700 मुर्दो को दफनाया जा सकेगा। यह **कब्रिस्तान हॉलैंड के नगर ग्रोनिंगन में बनाया जा रहा है।** इस **कब्रिस्तान के निर्माण के लिए मुसलमानों ने एक नया संगठन** बनाया है। हॉलैंड के मुस्लिम नेता हामिद अमरीनो के अनुसार हॉलैंड में रहने वाले मुसलमानों की यह इच्छा होती है कि उन्हें मरने के बाद हॉलैंड में ही दफनाया जाए। वर्तमान पीढ़ी की यह सोच है कि वह डच हैं और हॉलैंड ही उनका देश है। इसलिए उनका मरना व जीना इसी देश में होना चाहिए। अभी तक हॉलैंड में जो मुसलमान मरते हैं उन्हें दफनाने के लिए उनके पैतृक देशों में भेजा जाता है। इस कब्रिस्तान के निर्माण पर चार लाख यूरो से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। **हॉलैंड के मुसलमान अब तक दो लाख यूरो इक्ट्ठा कर चुके हैं। कई अरब देशों ने यह प्रस्ताव किया है कि वे इस** कब्रिस्तान का खर्च वहन करेंगे। मगर हॉलैंड के मुसलमान विदेशी सहायता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। हॉलैंड में मुसलमानों की कुल जनसंख्या साढ़े आठ लाख है।"

"इस्लाम के अनुसार जब किसी मुसलमान का निधन हो जाता है तो उसे जिस कब्र में दफनाया जाता है वह स्थाई होती है। जबकि यूरोपीय देशों में कुछ वर्षों के लिए किराए पर कब्र लेकर शवों को कब्रिस्तानों में दफनाया जाता है। बाद में उसकी कब्र को खोदकर किसी अन्य व्यक्ति को उसमें दफना दिया जाता है। इसलिए अभी तक डच मुसलमान इस बात का प्रयास करते रहे हैं कि उन्हें उनके पैतृक देश तुर्की या मोरक्को जैसे देशों में स्थाई तौर पर दफनाया जाए ताकि उनकी कब्र हमेशा बरकरार रहे।"

"ताजा जानकारी के अनुसार हॉलैंड में बनने वाले इस कब्रिस्तान में एक कब्र पर आठ हजार यूरो की लागत आएगी। हॉलैंड की तरह उसके पड़ोसी देश जर्मनी में भी कब्रिस्तान के निर्माण की समस्या जटिल रूप ले रही है। वहां पर कई लाख मुसलमान आबाद हैं और ईसाईयों के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की है। वे अधिकतर तुर्क नस्ल के हैं। उनकी भी इच्छा यही है कि उन्हें जर्मनी में ही दफनाया जाए। इस समय जर्मनी के कई नगरों में मुसलमानों को ईसाईयों के कब्रिस्तानों में ही एक कोने में दफना दिया जाता है। जर्मनी में मुसलमानों की सबसे ज्यादा जनसंख्या नोर्देर्हिन प्रदेश में है। वहां पर दो मुस्लिम कब्रिस्तान विकसित किए जा रहे हैं ताकि मुर्दों को उसमें दफनाया जा सके।" ■

जनरल सुलेमानी के हत्यारों की मौत

इंकलाब (29 जनवरी) के अनुसार "तालिबान ने अमेरिका का एक सैन्य विमान अफगानिस्तान में मार गिराया है। बताया **जाता है कि इस विमान में अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी सीआईए के कई उच्चाधिकारी यात्रा कर रहे थे। इसमें ईरानी** जनरल कासिम सुलेमानी के हत्यारे सीआईए का गुप्त कमांडर माइकल डी एंड्रिया भी शामिल था। माइकल डी एंड्रिया को पश्चिम एशिया में सीआईए का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता है। वह इराक, ईरान और अफगानिस्तान में सीआईए के ऑपरेशन ग्रुप का कमांडर था। बताया जाता है कि सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए तालिबान ने इस विमान को अपना निशाना बनाया।"

"जानकार सूत्रों के अनुसार इस विमान में सवार अमेरिका के 100 से अधिक अधिकारी मारे गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के एक ग्रुप को एक विशेष विमान

द्वारा अफगानिस्तान भेजा गया है जो वहां पर तालिबान द्वारा तबाह किए गए विमान के मलबे और उसमें मारे गए व्यक्तियों के शवों की जांच कर रहा है। अमेरिका की जांच एजेंसी का कहना है कि उसे इस दुर्घटना की जानकारी है। मगर वे अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा तबाह किए गए विमान और उसमें मारे गए यात्रियों के बारे में कोई सूचना नहीं दे सकते। क्योंकि यह सब मामला गोपनीय है। दूसरी ओर तालिबान ने गजनी में तबाह किए गए इस विमान को मार गिराए जाने की जिम्मेवारी ली है। तालिबान ने अपने बयान में कहा है कि इस विमान में सवार सीआईए के अनेक उच्चाधिकारी मारे गए हैं और उनके शव दुर्घटना स्थल पर बिखरे हुए हैं। तालिबान ने इस तबाह किए जाने वाले विमान के चित्र भी प्रकाशित किए हैं। सैनिक विशेषज्ञ इस बात पर हैरान है कि तालिबान ने अमेरिका के इस आधुनिकतम विमान को कैसे गिरा दिया? अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने ई-11 टाइप के इस विमान के गिराए जाने की पुष्टि की है। किन्तु किसी भी तरह की जानकारी उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया गया है।"

अखबार-ए-मशरिक (28 जनवरी) के अनुसार "अफगानी सेना ने तालिबान के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। सरकारी सेना जमीनी और हवाई हमले कर रही है। इस हमले में कम-से-कम 51 तालिबान मारे गए हैं। इन हमलो के खिलाफ बल्ख में नागरिकों ने गवर्नर के कार्यालय के बाहर विरोध-प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इन सरकारी हमलों में काफी आम नागरिक भी मारे गए हैं जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गवर्नर ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि इन हमलों की जांच करवाई जाएगी। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि कंधार में अफगानिस्तान के सुरक्षा सैनिकों की चौकियों पर हमला किया गया है। इस हमले में कम-से-कम 10 सैनिक मारे गए हैं और तीन घायल हो गए हैं। तालिबान ने सरकारी सैनिकों से काफी अस्त्र-शस्त्र भी जब्त किए हैं। एक अन्य बयान में तालिबान का कहना है कि बल्ख में अफगान सैनिकों के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। इस हमले में आठ सरकारी सुरक्षा अधिकारी मारे गए।"

पश्चिम एशिया

अमेरिका की मध्य-पूर्व शांति योजना खटाई में

© Getty Images/AFP/K. Desouki

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यरूशलम में फिलिस्तीन के विभाजन पर जो कथित शांति योजना पेश की थी उसे इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) ने ठुकरा दिया है।

इंकलाब (29 जनवरी) के अनुसार "मध्य-पूर्व में शांति स्थापना की दिशा में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने फिलिस्तीनी स्टेट बनाने की बात कही है। मगर इसके साथ ही यह भी सुझाव दिया है कि इजरायल ने जो बस्तियां इस क्षेत्र में बनाई हैं उन्हें भी मान्यता दी जाए। इस योजना में यरूशलम को इजरायल की राजधानी बनाया जाना भी शामिल है। उनकी यह योजना वास्तविक है और इजरायलियों तथा फिलिस्तीनियों को उनके घर से बेदखल नहीं किया जाएगा। यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में खड़े होकर की। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि हो सकता है कि उनके द्वारा पेश की जाने वाली यह शांति योजना फिलिस्तीनियों के लिए अंतिम मौका हो।"

समाचारपत्र के अनुसार "यह योजना ट्रम्प के दामाद ने प्रारूप के रूप में तैयार की थी जिसे कुछ विशेषज्ञों ने 'डील ऑफ द सेंचुरी' घोषित किया है, जिसका लक्ष्य विश्व के सबसे लम्बे विवाद का समाधान खोजना है। इजरायल ने इस योजना के लिए अमेरिका को धन्यवाद दिया है। मगर फिलिस्तीन इसे पहले ही रद्द कर चुका है। इस घोषणा के बाद गाजा पट्टी में हजारों फिलिस्तीनियों ने विरोध-प्रदर्शन किया। जबकि इजरायल ने अपने अधिकृत क्षेत्र में भारी संख्या में सेना तैनात कर रखी है ताकि विरोध प्रदर्शनों को रोका जा सके। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री ने व्हाइट हाउस को इजरायल का सबसे बड़ा मित्र बताया है और कहा है कि यह योजना इस शताब्दी का सबसे बड़ा उपहार है जिसे हम नष्ट नहीं करेंगे। इजरायली सूत्रों के अनुसार नेतन्याहू इस संदर्भ में मास्को जाकर रूस के राष्ट्रपति से भी विचार विमर्श करेंगे।"

एक अन्य समाचार के अनुसार "फिलिस्तीन

सरकार ने अमेरिका की इस योजना की निंदा करते हुए विश्व से अपील की है कि वे इसका बहिष्कार करें। फिलिस्तीन सरकार का दावा है कि अमेरिका की इस तथाकथित शांति योजना से फिलिस्तीन-इजरायल विवाद सुलझने के बजाय और उलझ जाएगा। फिलिस्तीन सरकार के प्रवक्ता ने एक उच्चस्तरीय अधिवेशन से पूर्व कहा कि अमेरिका की इस कथित शांति योजना में यरूशलम के अधिकृत क्षेत्र को इजरायल को सौंपा जा रहा है। इजरायल ने हमारे खिलाफ और फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सहायता करने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी के खिलाफ जंग शुरू की है। वाशिंगटन में फिलिस्तीन के सभी कार्यालय बंद कर दिए गए हैं और फिलिस्तीनियों के आर्थिक संसाधनों को भी बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी कौम ने खुले तौर पर अमेरिका की इस तथाकथित शांति योजना को ठुकरा दिया है। क्योंकि यह एकपक्षीय है। इसका लक्ष्य फिलिस्तीन की समस्या का समाधान नहीं बल्कि उसे तबाह करना है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जेल जाने से बचाने के लिए इस योजना की घोषणा की है। फिलिस्तीनियों का कहना है कि जिन लोगों ने फिलिस्तीन की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है उनके कब्जे को वैध बनाना है।"

इंकलाब (4 फरवरी) के अनुसार "इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) ने मध्य-पूर्व के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की शांति योजना को ठुकरा दिया है। 57 देशों के इस संगठन ने अपने सदस्यों को यह निर्देश दिया है कि वे इस योजना के संबंध में किसी भी तरह का सहयोग अमेरिकी प्रशासन को न दें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन और इजरायल के बीच शांति स्थापना की यह योजना 28 जनवरी को पेश की थी। इस योजना को फिलिस्तीन पहले ही रद्द कर चुका है। ओआईसी ने कहा है कि फिलिस्तीन में शांति फिलिस्तीनियों सहित अन्य सभी पक्षों के मंजूरी के बिना संभव नहीं है। ओआईसी का विशेष अधिवेशन सऊदी नगर जेद्दा में हुआ था, जिसमें इस योजना का बारिकी से अध्ययन किया गया। अधिवेशन में पढ़े गए एक बयान के अनुसार अमेरिका की इस योजना को न्यायसंगत और सभी पक्षों के लिए संतोषजनक होना चाहिए था। जबकि यह एकतरफा है और यह फिलिस्तीनियों की मांग को पूरा नहीं करता। ओआईसी ने कहा है कि वह आजाद फिलिस्तीनी देश की स्थापना उसकी सहायता और वहां की जनता के साथ खड़ी हुई है। वह किसी भी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी जिसमें फिलिस्तीनियों का हित न हो।"

"इस योजना के तहत जॉर्डन घाटी और जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे का क्षेत्र इजरायल में मिलाने, यरूशलम को इजरायल के हवाले करने और कुछ फिलिस्तीनी क्षेत्रों में गैर-सैनिक राज्य बनाने की योजना पेश की गई थी। इस योजना में फिलिस्तीनियों को अधिकृत वेस्ट बैंक के कुछ क्षेत्रों में सीमित स्वायत्तता की योजना का भी उल्लेख था। जबकि इजरायल को इस बात का अधिकार दिया गया था कि वह अपनी सभी यहूदी बस्तियों का इजरायल में विलय कर सके और सारे यरूशलम पर उसका नियंत्रण रहे।"

एक अन्य समाचार के अनुसार "सऊदी सरकार ने ईरान के प्रतिनिधिमंडल को ओआईसी के अधिवेशन में भाग लेने से रोक दिया है। सऊदी सरकार ने इस अधिवेशन में ईरान की ओर से जाने वाले प्रतिनिधिमंडल को वीजा जारी नहीं किया था।"

इत्तेमाद (31 जनवरी) के अनुसार "ओआईसी के महासचिव ने कहा है कि पूर्वी यरूशलम का सारा हिस्सा फिलिस्तीनी स्टेट का अटूट अंग है। उन्होंने कहा कि ट्रम्प ने जो योजना पेश की है उसका ओआईसी अध्ययन कर रहा है। लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजरायल और फिलिस्तीन के विवाद का कोई हल अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत निकाला जाए। तुर्की के राष्ट्रपति इरदुगान ने ट्रम्प की योजना को ठुकराते हुए कहा है कि यरूशलम मुसलमानों का पवित्र स्थल है। उसे इजरायल के हवाले करने को किसी भी हालत में कबूल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह तथाकथित शांति योजना समस्या का समाधान और शांति स्थापना के लिए नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति की इस योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम इस क्षेत्र के इस्लामी देशों के साथ हर तरह का सहयोग करने के लिए

तैयार हैं। उन्होंने मुस्लिम देशों से अपील की कि वे अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो जाएं ताकि अमेरिकी अतिक्रमण का मुकाबला किया जा सके।"

"पाकिस्तान ने भी अमेरिका की इस योजना को ठुकरा दिया है और कहा है कि 1967 से पूर्व की सीमाओं के आधार पर फिलिस्तीनी स्टेट का निर्माण होना चाहिए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि पाकिस्तान सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली के प्रस्तावों के आधार पर इस समस्या का समाधान चाहता है। पाकिस्तान बातचीत के द्वारा फिलिस्तीन की समस्या के न्यायसंगत और स्थाई समाधान का समर्थन करता है। सीरिया ने इस योजना को इतिहास का सबसे घिनौना राजनीतिक अपराध करार देते हुए इसकी निंदा की है। सीरियाई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका मध्य-पूर्व में शांति नहीं बल्कि इजरायल की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। वह इस योजना की आड़ में इजरायल के अवैध रूप से फिलिस्तीन के क्षेत्र पर कब्जे को वैध बनाना चाहता है। अरब लीग ने इस योजना को इतिहास का सबसे बड़ा ढोंग करार दिया है।"

इंकलाब (3 फरवरी) के अनुसार "ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि अमेरिका की यह योजना सभी मुसलमानों के लिए शर्मनाक और निंदनीय है। हमारे सामने इसका सामना करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हम इकट्ठे होकर अमेरिका का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि यह शांति योजना इस्लाम के इतिहास का सबसे काला पन्ना है, जिसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

एक अन्य समाचार के अनुसार "तुर्की के राष्ट्रपति इरदुगान ने फिलिस्तीन के जिहादी संगठन हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया से मुलाकात की और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस खतरनाक मंसूबे को हर कीमत पर विफल बनाया जाना चाहिए। यह अमेरिका की घिनौनी साजिश है, जिसका लक्ष्य इजरायल को यरूशलम के क्षेत्रों को हड़पने की अनुमति देना है।"

टिप्पणी: इजरायल-फिलिस्तीन विवाद दशकों पुराना है। इसकी शुरुआत पूरे विश्व से यहूदियों के पलायन और उन्हें फिलिस्तीन की भूमि पर बसाने से हुई थी। 53 वर्ष पूर्व इजरायल ने जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे और गाजा पट्टी पर कब्जा करके उसे और भी जटिल बना दिया था। हालांकि इस अवधि में इजरायल ने मिस्र और जॉर्डन के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। मगर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का सिलसिला जारी रहा। 1948 में इस क्षेत्र में दो राज्य स्थापित किए गए। फिलिस्तीनी अरबों ने कभी भी इजरायल की स्थापना को स्वीकार नहीं किया और वे निरंतर इसके खिलाफ संघर्ष करते रहे। पहले विश्व युद्ध में यहूदियों ने इस बात की मांग करनी शुरू की कि विश्व में उनका एक अपना अलग राज्य होना चाहिए। उनका यह भी दावा था कि उन्हें फिलिस्तीन की भूमि से हजारों वर्ष पूर्व बेदखल कर दिया गया था और उनके पास अब अपना कोई पवित्र भूमि नहीं है। इसके साथ ही फिलिस्तीन के अरबों ने भी इजरायल की स्थापना की कल्पना का विरोध करना शुरू किया।

1920 में यरूशलम और 1921 में जाफ्फा में जब विश्व भर से पलायन करके आने वाले यहूदियों ने बसना शुरू किया तो इस क्षेत्र में 1929 में जबर्दस्त यहूदी विरोधी दंगे हुए जिसमें सैकड़ों यहूदी मारे गए और हेब्रोन और गाजा क्षेत्र यहूदियों को खाली करने पड़े। 1930 में अरबों ने यहूदियों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत की। सीरिया के रहने वाले शेख इजाद्दीन अल कासिम ने 'ब्लैक हैंड' नामक एक जिहादी संगठन बनाया जिसने 1936 में यहूदियों के खिलाफ व्यापक पैमाने पर संघर्ष की शुरुआत की। अंग्रेजों के हाथों कासिम मारा गया। इससे इस क्षेत्र में स्थिति और भी बिगड़ गई। 1936 से 1939 की अवधि में अरबों ने ब्रिटिश और यहूदियों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। इस विद्रोह के कारण इंगलैंड ने एक पील कमीशन स्थापित किया, जिसने फिलिस्तीन को विभाजित करने की योजना पेश की। इसे फिलिस्तीन के अरबों ने ठुकरा दिया। मगर दो प्रमुख यहूदी नेताओं ने इसे स्वीकार कर लिया। इसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से यहूदी-अरब फिलिस्तीन रेजिमेंट ने भाग लिया और वे उत्तरी अफ्रीका में जर्मनों से लड़े।

दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी और पोलैंड से भारी संख्या में यहूदियों को लाकर फिलिस्तीन में बसाया गया। 29 नवम्बर 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत फिलिस्तीन को विभाजित कर दिया गया। वहां पर एक यहूदी राज्य और दूसरे अरब राज्य का गठन किया गया और यरूशलम के पवित्र नगर को भी दो भागों में बांट दिया गया। इस प्रस्ताव का अरबों ने डटकर विरोध किया। अब्दुल अल कादिर अल हुसैनी और हसन सलामा के नेतृत्व में अरबों ने सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। जबकि दूसरी ओर यहूदियों ने तीन मिलिशिया संगठनों को बनाकर इसका मुकाबला करना शुरू किया। 14 मई 1948 को इजरायल की विधिवत स्थापना की घोषणा कर दी गई। इसका विरोध अरबों ने किया। इस युद्ध में कम-से-कम 15 हजार लोग मारे गए। 1949 में इजरायल ने फिलिस्तीन की काफी भूमि और जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे की भूमि पर कब्जा कर लिया और उसने मिस्र से गाजा पट्टी को भी छीन लिया। मगर इसे अरब लीग ने स्वीकार नहीं किया। 1950 में जॉर्डन और मिस्र ने फिलिस्तीनी मिलिशिया का समर्थन किया और उन्होंने इजरायल द्वारा अधिकृत भूमि पर हमले शुरू कर दिए।

1956 में स्वेज संकट के कारण इजरायल ने गाजा पट्टी पर पुनः कब्जा कर लिया और मिस्र में अल फिलिस्तीन की निर्वासित सरकार का गठन किया गया। 1959 में यूनाइटेड अरब रिपब्लिक की स्थापना हुई। 1964 में इजरायल के कब्जे से फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए एक नया संगठन फिलिस्तीन लिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन (पीएलओ) बना, जिसके प्रमुख यासिर अराफात थे। 1967 में छह दिनों के युद्ध में इजरायल ने जॉर्डन के पश्चिमी किनारे और गाजा पट्टी को पुनः मिस्र से छीन लिया। फिलिस्तीन लिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपना मुख्यालय जॉर्डन में स्थापित किया। मगर 1970 में जॉर्डन और फिलीस्तीन के गृह युद्ध के कारण पीएलओ को मुंहकी खानी पड़ी। लेबनान में पीएलओ ने इजरायल के खिलाफ जिहाद शुरू किया। लेबनान के गृह युद्ध में फिलिस्तीनी लड़ाकुओं ने इजरायल के खिलाफ हमलों की शुरुआत की। 1978 में इजरायल ने इस सारे क्षेत्र पर ऑपरेशन लैटिनी के तहत कब्जा कर लिया। मगर शीघ्र ही इजरायल को लेबनान से हटना पड़ा। फिलिस्तीनियों को लेबनान से भागना पड़ा और पीएलओ का मुख्यालय ट्यूनिशिया में स्थापित किया गया। इस गृहयुद्ध में इजरायल के हस्तक्षेप के कारण इजरायल और सीरिया में संघर्ष हुआ। हिजबुल्लाह और अमाल नामक जिहादी संगठनों ने ईरान की सहायता से दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लिया।

1970 में विश्व के दबाव के कारण मिस्र और इजरायल के बीच शांति संधि हुई। गत कई वर्षों से इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति वार्ता के अनेक प्रयास हुए हैं जो कि विफल रहे हैं। 2004 में फिलिस्तीनी नेशनल सेक्युरिटी फोर्सेस और इजरायली सेना के बीच संघर्ष का जो सिलसिला शुरू हुआ उसके कारण 2005 में इजरायल के प्रधानमंत्री एरियल शेरॉन ने गाजा में बसाए गए इजरायलियों को वापस बुला लिया। 2006 में हमास ने फिलिस्तीनी संसदीय चुनाव में 44 प्रतिशत सीटों पर विजय प्राप्त की जिसके जवाब में इजरायल ने फिलिस्तीन की अथॉरिटी पर इस बात के लिए दबाव डाला कि हमास इजरायल-फिलिस्तीन समझौते को स्वीकार करे और इजरायल के अस्तित्व को मान्यता दे, जिसे हमास ने ठुकरा दिया इस पर फिर इस क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी।

2007 में गाजा के युद्ध के फलस्वरूप हमास ने पूरे गाजा क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके जवाब में 2007 में इजरायल ने इस क्षेत्र की समुद्री नाकाबंदी शुरू कर दी। 2008 में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष ने उग्र रूप ले लिया। इस संघर्ष में हजारों लोग मारे गए। फरवरी 2009 में युद्ध-विराम की घोषणा की गई। 2011 में फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास किया जो कि विफल रहा। 2012 में फिलिस्तीन के प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र संघ में गैर सदस्यीय राज्य का दर्जा दिया गया और इस स्टेट को स्टेट ऑफ फिलिस्तीन के रूप में मान्यता दी गई। इस दौरान विश्व के विभिन्न देशों ने दोनों देशों के बीच समझौता करवाने का अनेक बार प्रयास किया मगर अभी तक इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को दो राज्यों में पुनर्विभाजित करने का फार्मूला दिया था जिसे अरब लीग और ओआईसी ने ठुकरा दिया है। ■

पश्चिम एशिया

इराक को अस्त्र-शस्त्रों की आपूर्ति पर रोक

इंकलाब (29 जनवरी) के अनुसार "अमेरिका ने इराक को सभी तरह के अस्त्र-शस्त्रों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। अमेरिका के रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ने इराक को नए एफ 16 जहाज सप्लाई न करने का फैसला किया है। प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि इराक में स्थिति बेहद नाजुक है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर तीन मिसाइल दागे गए थे, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इराक की संसद एक प्रस्ताव द्वारा यह तय कर चुकी है कि इराक में रहने वाले सभी विदेशी सैनिकों को वापस भेजा जाए।"

एक अन्य समाचार के अनुसार "इराक में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई की सोलह देशों के राजनीतिज्ञों ने निंदा की है और मांग की है कि इन प्रदर्शनकारियों की मृत्यु के संबंध में उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए ताकि और निर्दोष लोग न मरें। संवाद समितियों के अनुसार इराक स्थित अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस आदि 16 देशों के राजदूतों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की निंदा की है और सैनिकों द्वारा मारे गए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की हत्या की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। इन राजदूतों ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों को भयभीत करने के लिए इराकी सेना अंधाधुंध गोली चला रही है। पिछले चार महीने में कम-से-कम 500 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। ताजा समाचारों के अनुसार जब बगदाद में प्रदर्शन किया जा रहा था तब कुछ अज्ञात लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप दो प्रदर्शनकारी मारे गए और 29 घायल हो गए।"

इजरायली पासपोर्टधरियों पर प्रतिबंध

इंकलाब (29 जनवरी) के अनुसार "सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल ने घोषणा की है कि इजरायली पासपोर्टधारियों को सऊदी अरब में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विदेश मंत्री ने कहा है कि हमारा इजरायल से कोई रिश्ता नहीं है और इजरायल संबंधी हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा कि जब तक फिलिस्तीन समस्या का समाधान नहीं हो जाता और विभिन्न पक्षों में शांति समझौता नहीं हो जाती तब तक इजरायल के साथ संबंध सामान्य होना संभव नहीं है। इजरायल सरकार ने अपने नागरिकों को हाल ही में व्यापार और धार्मिक सिलसिले में सऊदी अरब जाने की अनुमति दी है। इजरायल के विदेश मंत्री ने यह दावा किया था कि इजरायल के नागरिकों को सऊदी अरब ने अपने देश में जाने की अनुमति दे दी है।"

इराक के नए प्रधानमंत्री के खिलाफ बगावत

हमारा समाज (3 फरवरी) के अनुसार "इराक के राष्ट्रपति बरहाम सालिह द्वारा मोहम्मद तौफीक अल्लावी को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने के बावजूद इराक में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला नहीं रूका। गत वर्ष नवम्बर महीने में इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए थे। जिस पर तत्कालीन प्रधामनंत्री आदिल अब्दुल माहदी ने त्यागपत्र देने की घोषणा कर दी थी। तब सरकार को यह आशा थी कि प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के कारण सरकार विरोधी प्रदर्शन रूक जाएंगे। परन्तु विरोध प्रदर्शनों का यह सिलसिला जारी रहा और इन प्रदर्शनों के कारण कम-से-कम एक हजार व्यक्ति मारे जा चुके हैं। अब हाल ही में राष्ट्रपति ने अल्लावी को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मगर प्रदर्शनकारियों ने उन्हें प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर दिया। नए प्रधानमंत्री को एक महीने में नई सरकार का गठन करना है, जिसके लिए उन्हें संसद से सहमति प्राप्त करनी होगी। मगर संसद में नए प्रधानमंत्री के प्रश्न पर जबर्दस्त विभाजन है। ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं लगता कि नए प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के गठन के बारे में संसद से मंजूरी प्राप्त कर पाएं।"

"मोहम्मद तौफीक अल्लावी पहले भी मंत्रिमंडल में शामिल थे। उनके पास संचार मंत्रालय था। राष्ट्रपति ने संसद से अनुरोध किया था कि वे प्रधानमंत्री को निर्वाचित कर दें। जब तय अवधि में संसद नए प्रधानमंत्री को निर्वाचित करने में विफल रही तो राष्ट्रपति ने मोहम्मद तौफीक अल्लावी को राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत कर दिया। तौफीक इराक के पूर्व प्रधानमंत्री अयाद अल्लावी के भाई हैं। नए प्रधानमंत्री की उम्र 65 वर्ष है और वे बगदाद के रहने वाले हैं। 2003 में सद्दाम हुसैन के शासन के खात्मे के बाद वे राजनीति में सक्रिय हुए थे। 2005 में वे सांसद चुने गए थे। 2012 में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नूरी अल-मलिकी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। प्रदर्शनकारी अल्लावी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अल्लावी ने यह घोषणा की थी कि सुरक्षा सैनिकों की गोली से जो सैकड़ों लोग मारे गए हैं उनके अभिभावकों को न्याय दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शनकारियों की मांग यह है कि देश में चुनाव करवाने से पूर्व भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और आर्थिक संकट का समाधान किया जाए। साथ ही बेरोजगारों के लिए रोजगार का सृजन किया जाए।"

फिलिस्तीन का इजरायल और अमेरिका से राजनयिक संबंध समाप्त

इंकलाब (3 फरवरी) के अनुसार "फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने मध्य-पूर्व के लिए अमेरिका की विवादित शांति योजना को ठुकराते हुए अमेरिका और इजरायल से सभी तरह के संबंध-विच्छेद करने की घोषणा की है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि हम इस प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अरब लीग के अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम इजरायल और अमेरिका दोनों से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेंगे। फिलिस्तीन का अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी सीआईए के साथ भी गुप्त सूचनाओं के सहयोग का समझौता है जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रम्प ने फोन पर उनसे बातचीत करने का प्रयास किया था। मगर मैंने उनसे बातचीत करने से इनकार कर दिया। क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के सामने यह राग अलापें कि उन्होंने प्रस्तावित शांति योजना के बारे में मुझसे बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि हम यरूशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के लिए कतई तैयार नहीं है। संपूर्ण यरूशलम हमारा है और वह अधिकार हम किसी को नहीं दे सकते।"

सऊदी अरब में तलाक का बढ़ता रूझान

सहाफत (30 जनवरी) के अनुसार "इस्लामिक जगत में सऊदी अरब ने जो नई उदारवादी नीति अपनाई है उसके कारण वहां पर तलाकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार वहां पर हर दिन 168 व्यक्ति तलाक ले रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हर घंटे वहां सात लोग तलाक ले रहे हैं। जबकि 2019 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार वहां पर हर घंटे तलाक लेने वालों की संख्या 5 थी। सऊदी गजट के अनुसार देश में 84 प्रतिशत तलाक पति-पत्नी के बीच तालमेल न होने के कारण हो रही हैं। सर्वेक्षण में इस बात का भी पता चला है कि बेमेल शादियों के कारण सऊदी अरब में 54 प्रतिशत तलाक होती हैं। आमतौर पर युवा पीढ़ी में तलाक लेने का रूझान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है।"

सर्वेक्षण के अनुसार "81 प्रतिशत तलाक पति या पत्नी के परिवारजनों द्वारा हस्तक्षेप के कारण होती हैं। सऊदी अरब में महिलाओं में हाल ही में जो जागृति पैदा हुई है उसके कारण उनमें अपने अधिकारों के प्रति रूझान तेजी से बढ़ा है और अब पति का वर्चस्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। ताजा सर्वेक्षण के अनुसार सऊदी अरब में गत छह महीने में तलाक के रूझान में भारी वृद्धि आई है। सऊदी अरब की मीडिया अल-अखबार के अनुसार सऊदी समाज में बढ़ते हुए तलाक के रूझान को कैंसर की संज्ञा दी गई है। तलाक से सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं और उनके बच्चों को होता है। सऊदी अरब में सरकार निकाह के लिए कर्ज भी देती है जो प्रत्येक व्यक्ति को 24 लाख रुपये तक दिया जाता है। तलाक हो जाने के कारण जोड़े यह कर्ज वापस नहीं कर पाते। इस कारण सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को हर वर्ष तीन अरब रियाल की क्षति हो रही है। सामाजिक विश्लेषकों का कहना है कि जैसे-जैसे सऊदी अरब में उदार और सेकुलर प्रवृत्ति जागृत हो रही है वहां की परिवार व्यवस्था तेजी से चौपट हो रही है।"

नागरिकता कानून के विरोध में नाटक करने पर बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

इत्तेमाद (1 फरवरी) के अनुसार "कनार्टक के शाहीन ग्रुप के एक स्कूल के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में दर्ज मुकदमें के सिलसिले में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक स्कूल की मुख्य अध्यापिका और दूसरी एक बच्चे की मां है। स्कूल में 21 जनवरी को चौथी-पांचवी कक्षा के बच्चों ने एक नाटक नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ स्कूल में पेश किया था जिसके पांच दिन बाद पुलिस ने इस स्कूल के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि इस नाटक में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ टिप्पणी की गई है। पुलिस ने इस संदर्भ में नाटक में भाग लेने वाले दस-ग्यारह वर्ष के बच्चों से थाने में बुलाकर पूछताछ की थी। इसके अतिरिक्त इस स्कूल के अनेक अध्यापकों से भी पूछताछ की गई है। पुलिस के एक अधिकारी श्रीधरन ने इस बात की पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करने पर एक बच्चे की मां नजमुल इंशा और स्कूल की मुख्य अध्यापिका फरीदा बेगम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक उनकी जमानत नहीं हो सकी है। बच्चे की मां ने टीवी चैनल पर बातचीत करते हुए कहा है कि अगर कोई गुनाह है तो इसके लिए सिर्फ वही जिम्मेवार हैं और इस मामले में किसी और को परेशान न किया जाए।"

अखबार ए मशरिक (1 फरवरी) के अनुसार "महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सचिन सावंत ने आरोप लगाया है कि अगर कर्नाटक में स्कूल के बच्चों के खिलाफ नागरिकता कानून का विरोध करने पर देश के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है तो मुंबई में स्कूलों में नागरिकता कानून के समर्थन में बच्चों से नाटक करवाने वालों के खिलाफ भी मुकदमें दर्ज किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई में अनेक स्कूलों में बच्चों द्वारा ऐसे प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है।"

तीन तलाक के आरोप में गिरफ्तारी

इत्तेमाद (1 फरवरी) के अनुसार "जिला शामली के कांधला कस्बे में नदीम नामक एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को तीन तलाक देने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार उसकी पत्नी बुशरा द्वारा थाने में दर्ज करवाई गई शिकायत के बाद नदीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बुशरा ने अपनी शिकायत में कहा है कि पारिवारिक झगड़े के कारण पिछले छह महीने से वह अपने मायके में रह रही है और अब नदीम ने उसे तीन तलाक द्वारा तलाक दे दिया है। इसलिए कानून के अनुसार नदीम के खिलाफ कार्रवाई की जाए।"

अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में वृद्धि

इंकलाब (3 फरवरी) के अनुसार "अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद गत छह वर्षों में अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में डेढ़ हजार करोड़ की वृद्धि की गई है जो कि एक नया रिकार्ड है। पिछले वर्ष हमारा बजट 4700 करोड़ का था जो कि अब बढाकर 5 हजार 29 करोड़ कर दिया गया है। बजट में वृद्धि के कारण अब अल्पसंख्यकों की कल्याण योजनाओं को पूरी गति से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2010-11 में अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 2600 करोड़ था जो कि अब बढ़कर दोगुना हो गया है।"

दुनिया के सबसे अमीर की बेटी मुस्लिम से शादी करेगी

सियासत (1 फरवरी) के अनुसार "दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स की बेटी जेनिफर गेट्स ने अपने मुस्लिम मित्र से शादी करने का ऐलान किया है। उसने इंस्टाग्राम पर मंगनी की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की है। उसका होने वाला पति 28 वर्षीय नाएल नस्सर है। विश्वविद्यालय में ये दोनों एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। तभी इन दोनों में प्रेम शुरू हुआ था। नाएल नस्सर हालांकि मिस्री मूल का है लेकिन उसका जन्म शिकागो में हुआ। 2013 में नस्सर ने और 2018 में जैनी ने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अभी तक बिल गेट्स ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। हालांकि उनकी पत्नी ने इस मंगनी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। नाएल नस्सर का संबंध मिस्र के खरबपति परिवार से है। काफी दिनों से दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहे थे। बिल गेट्स की बेटी ने लिखा है कि अब हम ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते। हम शीघ्र ही शादी करने वाले हैं।"

काबा की सफाई

इत्तेमाद (31 जनवरी) के अनुसार "काबा की सफाई के लिए प्रत्येक दिन 2155 लीटर कीटनाशक और खुशबूदार पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। सफाई का यह कार्यक्रम 24 घंटे जारी रहता है। इसके लिए कर्मचारियों की बड़ी टीम है। लक्ष्य यह है कि काबा के दर्शन के लिए आने वाले लोग पूरी शांति के साथ अपना कर्तव्य निभा सकें। काबा और उससे संबंधित स्थानों को दिन में तीन बार धोया जाता है और इस कार्य में एक हजार 830 लीटर कीटनाशक द्रव्य का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद इस क्षेत्र को सुगंधित बनाने के लिए 325 लीटर इत्र का इस्तेमाल किया जाता है।"

कतर के नए प्रधनमंत्री

इंकलाब (29 जनवरी) के अनुसार "कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को प्रधानमंत्री मनोनीत किया है। इससे पूर्व अमीर ने कतर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन नासिर का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया था। खालिद बिन खलीफा ने 11 नवम्बर 2014 को शाही दीवान के प्रमुख का कार्यभार सम्भाला था। इससे पूर्व वह शाह के कार्यालय में निदेशक थे। नए प्रधानमंत्री 1968 में दोहा में पैदा हुए थे।"

विश्लेषण हेतु उर्दू समाचार-पत्रों की सूची

1. दावत, दिल्ली
2. दैनिक इंकलाब, दिल्ली
3. अखबार-ए-मशरिक, दिल्ली
4. दैनिक सहाफत, दिल्ली
5. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली
6. हिंदुस्तान एक्सप्रेस, दिल्ली
7. हिंद समाचार, जालंधर
8. दैनिक प्रताप, जालंधर
9. दैनिक मुंसिफ, हैदराबाद
10. दैनिक सियासत, हैदराबाद
11. दैनिक हमारा समाज, दिल्ली
12. आल्मी सहारा, दिल्ली
13. औरंगाबाद टाइम्स, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
14. जदीद मरकज़, लखनऊ
15. साप्ताहिक नई दुनिया, दिल्ली
16. दैनिक इत्तेमाद, हैदराबाद
17. जदीद मेल, दिल्ली
18. सियासी तकदीर, दिल्ली
19. उर्दू, एक्शन, भोपाल
20. साप्ताहिक चौथी दुनिया, दिल्ली
21. साप्ताहिक अखबार नव, दिल्ली
22. दैनिक मिलाप, दिल्ली
23. कौमी तंजीम, पटना
24. दैनिक जदीद ख़बर, दिल्ली
25. मुंबई उर्दू न्यूज़, मुंबई

आप अपनी राय, जानकारियां, उर्दू पत्रों से समाचार प्रतिष्ठान को भेजें। संपादक मंडल उसे अगले अंकों में संपादकीय नीति के तहत स्थान देने का प्रयास करेगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

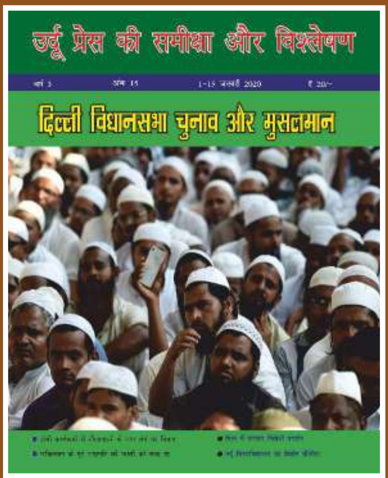

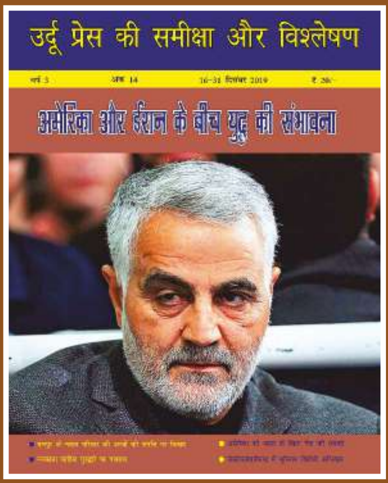

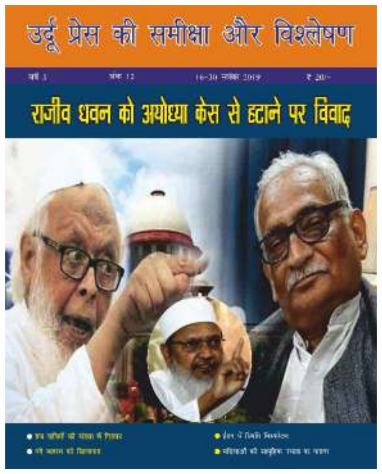

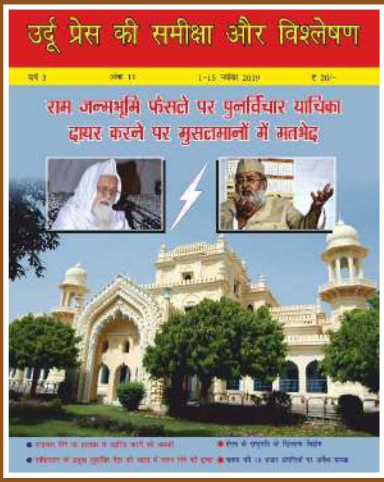

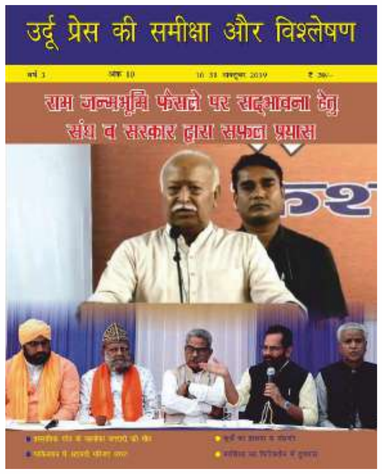

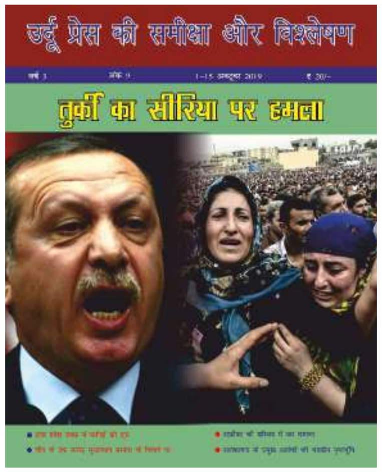

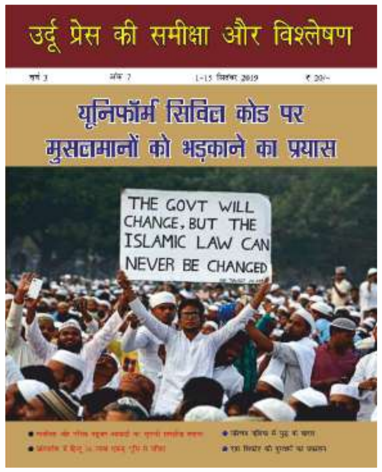

ipf INDIA POLICY FOUNDATION
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी–51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26524018 • फैक्स : 011–46089365
ईमेलः info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com, वेबसाइटः www.ipf.org.in